

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ0एफ0पी0 भवन, एच.ई.सी. परिसर, भूतल, धुर्वा, राँची।

पत्रांक-परि0आ0-2185 / 2011.....189...../ राँची, दिनांक-25-02-2021 /

प्रेषित,

श्री संतोष कुमार,
नेहरू कॉलोनी, न्यू कालामाटी रोड,
साकची, जमशेदपुर।

विषय : परमिट सं0-P.st.S-01/2011(W.B) पर आवृत्त वाहन सं0-JH01Z-5897 का प्रतिस्थापन के संबंध में।

उपर्युक्त विषयक मार्ग-टाटा से नावाडीह भाया-फुसरो, जैना मोड़, चास, पुरुलिया ('A'-47) पर निर्गत परमिट सं0-P.st.S-01/2011(W.B) (वैधता-04.05.2021 तक) से आवृत्त वर्तमान वाहन सं0-JH-01Z-5897 की आयु दिनांक-04.05.2021 को 12 वर्ष पूर्ण हो रही है।

अतः आपको निदेश दिया जाता है, कि दिनांक-04.05.2021 तक या उसके पूर्व उक्त वाहन का प्रतिस्थापन उच्चतर मॉडल के वाहन से कर लिया जाय। उक्त के पश्चात् हि आपके परमिट नवीकरण आवेदन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सकेगी।


संयुक्त परिवहन आयुक्त,
झारखण्ड, राँची।